

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 687 सन 2020

अनवान :-

1. सुर्यप्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गणपत पुत्र खिराज जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
2. मांगेराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
3. विमला पत्नी स्व गोपीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
4. रेशमा पत्नी स्व वीरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
5. रोहित पुत्र रेशमा पत्नी वीरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
6. सुमन पत्नी स्व अमरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 28/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 22/20 की कुल 7.4730 हैक् खाता संख्या 23/31 की कुल 3.3510 हैक् व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 59/53 की कुल 3.6420 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा गणपत पुत्र खिराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के पूर्वज खिराज वल्द नोला के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा खिराज वल्द नोला ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी के पूर्वज खिराज के एक पुत्र गणपत प्रतिवादी संख्या 1 है जिसके तीन पुत्र हुए जिनका देहान्त हो चुका है जिनका भी देहान्त भी हो चुका है जिनकी पत्नी एवं पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 हुए है जो प्रतिवादी संख्या 1 के जायज वारिस है। जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 व 5 वादी की भाई एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,6 की पुत्र है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपनी माता प्रतिवादी संख्या 2 ,5 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 4,6 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 , 4 ,6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 3 ,4 ,6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तैलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी के दादा गणपत पुत्र खिराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के पूर्वज खिराज वल्द नोला के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा खिराज वल्द नोला ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पिता/पति का देहान्त हो चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 5 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी माता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 6 के हक हिस्सा की भूमि जिसे जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 22/20 की कुल 7.4730 हैक खाता संख्या 23/31 की कुल 3.3510 हैक व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 59/53 की कुल 3.6420 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा गणपत पुत्र खिराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के पूर्वज खिराज वल्द नोला के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा खिराज वल्द नोला ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी के पूर्वज खिराज के एक पुत्र गणपत प्रतिवादी संख्या 1 है जिसके तीन पुत्र हुए जिनका देहान्त हो चुका है जिनका भी देहान्त भी हो चुका है जिनकी पत्नी एवं पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 हुए हैं जो प्रतिवादी संख्या 1 के जायज वारिस हैं। जो वाद भूमि पाने के अधिकारी हैं

प्रतिवादी संख्या 2 व 5 वादी की भाई एवं प्रतिवादी संख्या 3, 6 की पुत्र हैं ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपनी माता प्रतिवादी संख्या 2, 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 6 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चर्या होते हैं अतः वादी का वाद डिग्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 22/20 की कुल 7.4730 हैक खाता संख्या 23/31 की कुल 3.3510 हैक व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 59/53 की कुल 3.6420 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पूर्वज खिराज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा श्योनन्दराम पुत्र पैमाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायाधिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी संख्या 3, 6 की पुत्र है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 3, 4 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2, 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं की सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात् परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 22/20 की कुल 7.4730 हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 23/21 की कुल 3.3510 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 59/53 की कुल 3.6420 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुर्यप्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गणपत पुत्र खिराज जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. मांगेराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. विमला पत्नी स्व गोपीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. रेशमा पत्नी स्व वीरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. रोहित पुत्र रेशमा पत्नी वीरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6. सुमन पत्नी स्व अमरसिंह जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 687 सन 2020 निर्णय दिनांक- 28/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 22/20 की कुल 7.4730हैक् में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 23/21 की कुल 3.3510हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब 1/4 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 59/53 की कुल 3.6420हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)